

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी 2024—फाल्गुन 4, शक 1945

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2024

क्र. एफ-1-1-34-0004-2023-1-दस.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) वन सेवा (भर्ती) नियम, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नानुसार अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

अनुसूची "तीन"

{नियम 8 (2) देखिये}

मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा

विभाग का नाम	सेवा का नाम तथा वेतनमान जिसमें भरती द्वारा नियुक्ति की जाएगी	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वन विभाग	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय) वन सेवा (भर्ती) नियम, 1967 (वन क्षेत्रपाल)	21 वर्ष	33 वर्ष	अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान/इन्जिनियरिंग/तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि।

2/ उक्त नियम दिनांक 01-01-2021 से प्रवृत्त हुए समझे जाएँगे।

No. F-1/1/34/0004/2023/1-10 :: In exercise of the powers conferred by the proviso in Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Class III (Non Ministerial) Forest Service Recruitment Rules, 1967, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, Schedule-III, shall be substituted with the following Schedule, namely :-

"SCHEDULE-III"

{see Rule-8 (2)}

MADHYA PRADESH STATE FOREST SERVICE

Name of the Department	Name of the Service, Post Minimum and Pay Scale where in the appointment shall be made by recruitment	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Educational Qualification Prescribed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Forest Department	Madhya Pradesh Class III (Non Ministerial) Forest Service Recruitment Rules, 1967 (Forest Ranger)	21 Years	33Years	A candidate must possess bachelor's degree in any branch of Science/Engineering / Technical

2/ The above rules shall be deemed to have come into force from 01/01/2021.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किशोर कुमार कन्याल, उपसचिव.

अंतिम विनियम मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2024

क्रमांक - 480/मप्रविनिआ/2024 - विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 86 की उप-धारा (ख) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, (पुनरीक्षण-प्रथम) 2009 {आरजी30(I), वर्ष 2009}, जिसे एतद् पश्चात् "मूल विनियम" निर्दिष्ट किया गया है, का संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, (पुनरीक्षण- प्रथम) 2009 में द्वितीय संशोधन प्रस्तावना

जबकि आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, (पुनरीक्षण-प्रथम) 2009 {आरजी30(I)(ख), वर्ष 2009}, दिनांक 20.02.2009 को अधिसूचित किया गया था तथा यह जबकि भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा दिनांक 01.09.2023 को अधिसूचित विद्युत संशोधन नियम, 2023 के अनुसार तथा वैकल्पिक समर्थन (Stand by support) हेतु प्रभारों के पुनरीक्षण हेतु इन विनियमों में कतिपय परिवर्तन किये जाने आवश्यक हो गये हैं, अतएव मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, (पुनरीक्षण-प्रथम) 2009 में संशोधन अधिसूचित किया जा रहा है।

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ तथा व्याख्या

1.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, (पुनरीक्षण-प्रथम) 2009, (द्वितीय-संशोधन) {एआरजी-30(I)(ii), वर्ष 2024}}, कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र के इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 1 में संशोधन

2.1 मूल विनियमों के विनियम 1.4 में उप-खण्ड(एए) को निरस्त किया जाए।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, आयोग सचिव.

2.2 मूल विनियमों के विनियम 1.5 के स्थान पर निम्न खण्ड 1.5 स्थापित किया जाए, अर्थात् :

“1.5 किसी भी विद्युत संयंत्र को आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयंत्र के रूप में केवल उसी दशा में चिन्हांकित किया जाएगा जब वह समय-समय पर यथासंशोधित विद्युत नियम, 2005 में अन्तर्विष्ट शर्तों की तुष्टि करता हो।”

2.3 मूल विनियमों के विनियम 1.6 के स्थान पर निम्न विनियम 1.6 स्थापित किया जाए, अर्थात् :

“1.6 यदि किसी वित्तीय वर्ष में विद्युत नियम, 2005 में अन्तर्विष्ट शर्तों की पूर्ति आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादक और/या आबद्ध उपयोगकर्ता(ओं) द्वारा नहीं की जाती हो तो मप्रविनिआ (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 के विनियम 7 में निर्दिष्ट निष्कर्षों का अनुसरण किया जाएगा। आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादक और आबद्ध (केप्टिव) उपयोगकर्ता(ओं) को मप्रविनिआ (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 के विनियम 9 के अनुसार पदांकित अधिकारी द्वारा अवधारण संबंधी आबद्ध (केप्टिव) अवस्था (Status) के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।”

3. मूल विनियमों के विनियम 4 में संशोधन

3.1 मूल विनियमों के विनियम 4.15 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

“विनियम 4.15 में प्रकट हो रहे शब्द तथा अंक “रू31” और “रू25” के स्थान पर क्रमशः शब्द तथा अंक “रू16” और “रू13” स्थापित किए जाएं।”

3.2 मूल विनियम के विनियम 4.15 के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्न परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :

“ परन्तु आगे यह और कि वचनबद्धता प्रभार (Commitment Charges) जिनमें आदेश दिनांक 14.12.2023 के माध्यम से समयावृद्धि की गई है, को प्रयोज्य तिथि (Applicable date) से इस संशोधन के अनुसार क्रियाशील होने की तिथि (date of commencement) तक पुनरीक्षित वचनबद्धता प्रभार जैसा कि इन्हें ऊपर दर्शाया गया है दिनांक 31.03.2027 तक प्रयोज्य होंगे तथा तत्पश्चात् इनकी समीक्षा की जाएगी।”

Bhopal, the 20th February 2024

No. MPERC/2024/480 In exercise of the powers conferred by Section 181 read with sub-section (b) of Section 86 of the Electricity Act 2003 (N0.36 of 2003) and all powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Electricity Regulation Commission (Power Purchase and other matters with respect to conventional fuel based captive power plants) Regulations, (Revision-I) 2009 [RG 30(I) of 2009] hereinafter referred to as the "Principal Regulations" namely:-

SECOND AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (POWER PURCHASE AND OTHER MATTERS WITH RESPECT TO CONVENTIONAL FUEL BASED CAPTIVE POWER PLANTS) REGULATIONS, (REVISION-I) 2009

PREAMBLE

Whereas the Commission had notified Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Power Purchase and Other Matters with respect to conventional fuel based Captive Power Plants) Regulation, (Revision-I) 2009 (RG-30(I) of 2009) on 20.02.2009 and whereas certain changes are necessary in these Regulations to align them with the Electricity Amendment Rules 2023 notified by the Ministry of Power, Government of India on 01.09.2023 and to revise the charges for standby support, therefore these amendments in Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Power Purchase and Other Matters with respect to conventional fuel based Captive Power Plants) Regulation, (Revision-I) 2009 are being notified.

1. Short title, commencement and interpretation

1.1 These Regulations may be called the '**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Power Purchase and Other Matters with respect to conventional fuel based Captive Power Plants) Regulations, (Revision-I) 2009 (Second Amendment) {ARG-30 (I) (ii) of 2024}**'.

1.2 These Regulations shall come into force on the date of their publication in the official gazette of the Government of Madhya Pradesh.

2. Amendment to Regulation 1 of the Principal Regulations:

2.1 Sub-clause (aa) of Regulation 1.4 of the Principal Regulations shall be deleted.

2.2 Regulation 1.5 of the Principal Regulation shall be substituted by the following, namely:

“1.5 A power plant shall be identified as a Captive Power Plant only if it satisfies the conditions contained in Electricity Rules, 2005 and its amendments from time to time.

2.3 Regulation 1.6 of the Principal Regulation shall be substituted by the following, namely:

“1.6 If in any financial year, the conditions contained in the Electricity Rules, 2005 are not satisfied by the captive generator and/or captive user(s), consequences as specified in regulations 7 of the MPERC (Verification of Captive Generation Plants and Captive Users) Regulations, 2023 shall follow. The captive generator and captive user(s) shall have the right to represent against the decision of determination of captive status by the designated authority as per the regulation 9 of the MPERC (Verification of Captive Generation Plants and Captive Users) Regulations, 2023.”

3. Amendment to Regulation 4 of the Principal Regulations:

3.1 Regulation 4.15 of the Principal Regulation shall be amended as follows:

“words and digits “Rs. 31” and “Rs. 25” appearing in Regulation 4.15 shall be substituted by “Rs. 16” and “Rs. 13” respectively.

3.2 2nd proviso of Regulation 4.15 of the Principal Regulation shall be substituted by the following proviso, namely: -

“Provided further that the commitment charges as extended vide order dated 14.12.2023 shall be applicable up to the date of commencement of this amendment and the revised commitment charges indicated above shall be applicable till 31.03.2027 and shall be reviewed thereafter.”

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Commission Secy.